



प्रेषक,

राज कुमार झा,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासना।

सेवा में,

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग,

जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2026

विषय:- अनुदान सं0- 21 के लेखाशीर्षक 4059-04-खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता भवन हेतु भूमि क्रय में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 3173.00 लाख की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-ले0शा0/1889/E-172556/4059-पुर्न0वि0/2025, दिनांक 23 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4059-04-खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता भवन हेतु भूमि क्रय में अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम धनराशि रू0 3173.00 लाख की व्यवस्था कराने के साथ ही कुल धनराशि 3174.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-21 के "लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना की मानक मद संख्या-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति की मद में सम्भावित हो रही बचत धनराशि रू0 3173.00 लाख से खाद्य एवं उपभोक्ता भवन कार्यालय भूखण्ड हेतु कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक दिनांक 20.01.2026 द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-4/1-ए अनुमानित क्षेत्रफल 2473.12 वर्ग मीटर भूमि हेतु प्रस्तावित लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-05-खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण-60-भूमि क्रय मद हेतु धनराशि रू0 3173.00 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था संलग्न बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने के साथ ही कुल धनराशि रू0 3174.00 लाख (इकतीस करोड चौहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने एवं प्रश्नगत धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा समस्त औपचारिकताओं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) बचत की धनराशि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- (4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (5) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।
- (8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (9) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (10) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं 01 अगस्त, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-05-खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण-60-भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश ई-आफिस के कम्प्यूटर नं0-1847633 की पत्रावली में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

राज कुमार झा
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।